


न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

मुकेश बनाम उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम व अन्य

केस संख्या : 123 / 2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
26.09.2024	<p>प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी की ओर से वकील श्री राजेश चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र आगे नहीं चालाने का कथन कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को विद्धो/खारिज किये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 30/2023 ब उनवानी रियास इन्फ्रा प्रा. लि. बनाम आनन्दा व अन्य में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है, परन्तु अब प्रार्थी ने पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को विद्धो करना चाहा है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी सहमत है। अतः प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को विद्धो किये जाने से मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">  (डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी) जिला कलक्टर जयपुर </p>	